

विचार बिन्दु

जिन्हें हम हीन या नीच बनाये रखते हैं वो भी क्रमशः हमें हेय और दीन बना देता हैं। -टैगोर

सोशल मीडिया: वैचारिक दृढ़ता बनाम असहिष्णुता

अब भारतीय समाज का बहुत बड़ा हिस्सा किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने लगा है। कम्प्यूटर का चलन बढ़ने, मोबाइल के स्मार्ट हो जाने और इन्टरनेट के सस्ता तथा अधिक सुलभ हो जाने से इस प्रयोग में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो इसका प्रयोग अपने सामाजिक-पारिवारिक रिश्तों के निर्वाह के लिए करते हैं। वे अपने सुख-दुख की बातें करते हैं, अपने हर्ष और विषाद की खबरें साझा करते हैं और आवश्यकतानुसार अपनी खुशी और संवेदनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। किसी को कुछ हासिल हुआ तो बधाई और किसी ने कुछ खोया तो संवेदनाएं। सोशल मीडिया की वजह से बधाइयों का आदान-प्रदान खूब होने लगा है। बिना किसी खास प्रयत्न के हमें अपने के जन्म दिन की सूचनाएं मिल जाती हैं और हम भी प्रायः बिना कोई प्रयास किए, किसी उपलब्ध टेम्पलेट का प्रयोग करके, या किसी इमोजी के माध्यम से अपनी शुभ कामनाएं दे देते हैं। यह सोशल मीडिया का सात्विक और निरापद उपयोग है।

इसका लाभगण्य ऐसा ही उपयोग साहित्य और कलाओं की दुनिया के लोग भी करते हैं। वे अपनी नई किताबों के प्रकाशन की सूचना देते हैं, अपने लेख, कविता आदि के छपने की या अपने कंसर्ट के आयोजन की खबर देते हैं। बहुत बार लोग अपनी रचनाशीलता की बागनी भी यहां दे देते हैं, मसलन कोई कवि अपनी कविता पोस्ट कर देता है या कोई गायक अथवा चित्रकार अपनी कला का एक अंश साझा कर देता है। अगर किसी को कोई पुरस्कार, सम्मान आदि मिलता है तो उसकी खबर हमें इस माध्यम से मिल जाती है और सम्बद्ध व्यक्ति तक हम भी अपनी बधाई पहुंचा देते हैं। यह माध्यम बहुत बार दुखद समाचार भी हम तक पहुंचाता है। किसी साहित्यकार, कलाकार के बीमार होने या उसके दिवंगत होने की खबर भी इसी माध्यम से हम तक पहुंचती है। यहीं यह बात उल्लेखनीय है कि मुद्रण व अन्य संचार माध्यम बहुत बार ऐसी खबरों की अनदेखी कर जाते हैं। तो यह भी सोशल मीडिया का एक सात्विक व निरापद उपयोग है। लाभगण्य है इसलिए कहा कि इसका उपयोग करते हुए बहुत सारे लोग आम प्रचार की अति कर जाते हैं, और बहुत बार प्रतिक्रिया स्वरूप उनको पसंद न करने वाले ऐसी टिप्पणियां भी कर जाते हैं जिनकी वजह से यह उपयोग सात्विक नहीं रह जाता है। लेकिन ऐसा अधिक नहीं होता है।

सोशल मीडिया का तीसरा उपयोग वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए होता है। मान लीजिए, किसी विषय पर -चाहे वह राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो या कोई और हो-आपके कुछ खास विचार हैं। आप उन विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। इधर मुद्रण माध्यमों और दूर्य माध्यमों की प्रकृति में आए बदलाव के कारण वहां वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए स्थान संकुचित हुआ है। ऐसे में सोशल मीडिया एक सशक्त विकल्प के रूप में सामने आता है। यहां न तो स्थान का अभाव है और न (लाभगण्य) कोई सेंसर। आप जो चाहें और जैसे चाहें उस तरह अपनी बात कह सकते हैं। एक तरह से यह अभिव्यक्ति की आजादी की पराकाष्ठा है। अब, पराकाष्ठा के अपने खतरे भी होते हैं और वे खतरे यहाँ साफ-साफ दिखाई भी देते हैं। बहुत बार लोग अपनी बात कहते हुए शालीनता की सीमाओं का खुला उल्लंघन कर बैठते हैं। वे जब इस बात को समझने से पूरी तरह अज्ञान करते हैं कि अपनी बात सामने रखने से भी कहीं जा सकती है। इस ऐसा होता है तो स्वाभाविक ही है कि इसकी प्रतिक्रिया भी होती है, और बहुत बार प्रतिक्रिया भी उतनी ही

या उससे भी ज्यादा अशालीन होती है। तब संवाद विवाद में तब्दील हो जाता है। और ऐसा केवल अशालीन अभिव्यक्ति के मामले में ही नहीं होता है। बहुत बार यह भी होता है कि आप तो शालीनता से अपनी बात कहते हैं लेकिन जो उससे असहमत होते हैं वे अपनी प्रतिक्रिया में अशालीन हो जाते हैं। विशेष रूप से राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा में इधर ऐसा ज्यादा होने लगा है। हममें से बहुत सारे लोग इस बात को समझ पाते हैं असमर्थ हैं कि जितना हम अपने विचारों पर दृढ़ रहने को आजाद हैं उतना ही आजाद वह भी है जिसके विचार हमारे विचारों से भिन्न हैं। समझ का यही

अभाव बहुत सारी समस्याओं के मूल में है। हम सारी दुनिया को एक रंग में, और वह रंग हमारी ही पसंद का हो, रंगा हुआ देखा चाहते हैं। यह जीवन में भी होने लगा है और सामाजिक मीडिया पर भी हो रहा है। कुछ लोग इसे वैचारिक धुवीकरण का भी नाम देते हैं। मुझे यह धुवीकरण से भी अधिक असहिष्णुता का मामला लगता है। हम अपने से भिन्न को स्वीकार करने और बने रहने देने की ही तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सभी वैसे ही सोच रखें जैसे हमारा है। यह बात राजनीति, धर्म, वेशभूषा आदि सारे मामलों में होती जा रही है। यह कह पाया कठिन है कि समाज ऐसा होता जा रहा है इसलिए सोशल मीडिया भी ऐसा हो रहा है या सोशल मीडिया समाज को अपने सोच में ढाल रहा है। लेकिन इतना निश्चित है कि ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत को अनेकता में एकता का देश कहा जाता रहा है। विविधता हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग रही है। शायर सरशार सैलानी ने क्या खूब कहा है: 'घमन में इखिलालात-ए-रंग-ओ-बू (रंग और गंध का मेल-जोल) से बात बनती है/ हम ही हम हैं तो क्या हम हैं तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो।' लेकिन इधर सारा जोर अग्रह जैसे 'हम ही हम' पर हो रहा है। सोशल मीडिया पर तो जैसे घमनासन होने लगा है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उससे भिन्न सोच वाले उस पर बड़ी बेरहमी से टूट पड़ते हैं। बात तर्कों और तथ्यों की नहीं की जाती है। अग्रह भाषा को इस्तेमाल बनाकर दूसरे पक्ष को आवाज को दबाया जाता है। बहुत थोड़े से लोग ऐसे भी हैं जो ईट का जवाब पत्थर से देते हैं, अन्यथा अधिकांश लोग मैदान छोड़ कर हट जाते हैं और यही वे लोग चाहते भी हैं। ईट का जवाब पत्थर से देना भी कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन ऐसा करने वालों के पास भी अपने तर्क होते हैं। पहला तर्क तो यही कि उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग यह भी सलाह देते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी तरह का नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठेगा कि नियंत्रण किसका हो? वैसे तो अभी भी थोड़ा बहुत नियंत्रण है। कुछ नियंत्रण स्वयं इन माध्यमों का है, जिसे लेकर बहुत सारी असहमतियां भी व्यक्त की जाती हैं। मसलन यह कि ये माध्यम किसी खास पक्ष के समर्थन में या किसी खास पक्ष के विरोध में अपने एल्गोरिथम के माध्यम बहुत बड़ा खेल कर जाते हैं। इस बात के अनेक प्रमाण भी दिए गए हैं कि दुनिया के कई देशों में इन माध्यमों ने गम्भीर हस्तक्षेप किए हैं। और यही बात सरकारी नियंत्रण के लिए भी मानी जा सकती है। किसी सरकार से, और वर्तमान परिदृश्य में, यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह प्रतिपक्ष को आवाज को दबाने के प्रयास नहीं करेगी? ऐसे में नियंत्रण की बात, चाहे वह माध्यमों के भीतर से होया देश विशेष की सरकार के द्वारा, युक्तिसंगत नहीं लगती।

मेरा सोच तो यह है कि सोशल मीडिया के जिम्मेदारी भरे प्रयोग के लिए हमें अपने नागरिकों की डिजिटल साक्षरता बढ़ाने पर ही बल देना होगा। इस बारे में स्वीच्छक संगठन और शैक्षिक संस्थान बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सोशल मीडिया को बरतने के मामले में अभी हमें बहुत कुछ सीखना है। अगर कोई सोशल मीडिया पर कुछ कह रहा है तो हमें यह सीखना होगा कि हम उससे किस सीमा तक और किस तरह असहमत हो सकते हैं। विचारणीय यह भी है कि हमें अपनी असहमतियों को कितना खींचना है। क्या केवल अपनी बात कहकर हट जाना है या इस ज़िद पर अड़े रहना है कि हमारे पास वाला हमसे सहमत हो ही जाए! मैं तो बहुत बार यह भी सोचता हूँ कि अगर मैं किसी से सहमत नहीं हूँ तो यह बात उसकी वॉल पर जाकर कहने की बजाय क्यों न अलग से और विस्तार से अपनी वॉल पर कहूँ। कोई सोशल मीडिया पर है इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसके साथ चाहे जैसा व्यवहार करें। आचरण में एक मर्यादा का निर्वाह बहुत जरूरी है। यह बात सोशल मीडिया के बरतने वालों को समझाना बहुत जरूरी है। अभी काफी हद तक एक अराजकता का माहौल वहां बना हुआ है जिसकी वजह से यह बेहतर और सशक्त माध्यम न केवल अपनी सही भूमिका नहीं निभा रहा पा रहा है, यह हमारे देश की समरसता को और शांति व सौहार्द को भी नष्ट कर रहा है। इस खतरे को समझना और इसके प्रसार को रोकना हमारे समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है और सभी समझदार लोगों को इस दिशा में न केवल सोचना, सक्रिय भी होना होगा।

-अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा कृषि उत्पादन मूल्य की गणना के लिए सुझाया गया C2 फार्मूला/कोस्ट कितनी व्यावहारिक?



महावीर सिंह

राष्ट्रदूत में 'केंद्र सरकार फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा किन आधारों पर व कैसे करती है? कैसे सुधारों की आवश्यकता है?' दिनांक 26 दिसम्बर 2024 को प्रकाशित लेख के उपरान्त कृषि व ग्रामीण पृष्ठ भूमि वाले कई पाठकों से C2 प्रतिशत कृषि लागत के सम्बंध में कई जानकारियां जाननी चाही। इसके क्रम में, सभी के लिए यह टिप्पणी है।

केंद्र सरकार की कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी योजना के अन्तर्गत फील्ड सर्वेयर्स, रेंडमली चयनित प्लॉट्स से, कृषकों से सतत सम्पर्क रख कर कृषि लागत से सम्बंधित इनपुट्स, आवश्यक बाहरी श्रमिकों, बुवाई जुताई से के लेकर फसल कटाई, निकलाई आदि पर मशीन, मानव श्रम व व्यय घन की जानकारी ली जाती है। इन्हीं जानकारियों के आधार पर कृषि लागत मूल्य आयोग श्रद्ध की अनुशंसाएं करता है।

इन सूचनाओं के आधार पर कृषि लागत की A2 कोस्ट व पारिवारिक सदस्यों के श्रम का मूल्य FL निकाला जाता है। MSP की गणना के सम्बंध डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट में यह

सुझाव दिया गया है कि A2+FL में निम्न कोस्ट्स और जोड़ी जानी चाहिए:-

A2+FL में पारिवारिक सदस्यों के ऐसे श्रम का मूल्य निकाल कर जोड़ा जाना होता है, जिसकी गणना, सूचना फील्ड सर्वेयर्स नहीं लेते हैं। ऐसे श्रम के बारे में आगे चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त कृषि के लिए काम में ली जाने वाली स्थायी मशीनरी, औजार-उपकरण, गोदाम-मकाना, आदि के मूल्य पर ब्याज जोड़ने की बात की जाती है। इसमें खेती के लिए आवश्यक बर्किंग पूंजी पर ब्याज जोड़ने की बात आती है। इसमें भूमि की रेंटल आय जोड़ी जानी चाहिए।

इन सब की व्यवहारिकता को यों समझा जा सकता है:-

1. कृषि के लिए, खेत तैयार करने से लेकर, इनपुट्स क्रय, बाहरी श्रमिकों को देने के लिए रोकड़, पैदा किया अन्न व चारा आदि उपयोगी बाईप्रोडक्ट्स घर लेकर आने व विक्रय तक विभिन्न कार्यों के लिए घन की आवश्यकता व समयावधि का अनुमान लगाना व उस पर ब्याज की गणना को A2+FL में शामिल करना व्यवहारिक रूप से किया जाना सम्भव है।

यहां यह समझना होगा कि खेत की बान व जुताई से लेकर अन्न निकालने तक लगी बाहरी श्रमिकों की व सीजन के कुछ समय पूरे दिन बाहरी श्रमिकों के साथ साथ काम करने वाले घर वालों की गणना आसान है। कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी में लगे सर्वेयर्स के द्वारा यह आसानी से करली जाती है और पारिश्रमिक की गणना करना आसान है।

किन्तु फिल्ड सर्वेयर्स द्वारा जिन कार्यों पर पूरे दिन घरेलू लोग काम करते हैं और जिनके पारिश्रमिक की गणना कर ली जाती है उनके अतिरिक्त भी फसल

के लिए खेत तैयार करने के लिए परिवार के छोटे-बड़े सदस्य कई प्रकार के जोर बहुत से कार्य करते हैं जैसे कि खेत की सफाई के लिए झाड़ू आदि काटना, इकठ्ठा करना, बुवाई के वक्त खाद-बीज लेकर ट्रैक्टर के साथ रहना व काम में लगे लोगों के लिए चाय-पानी आदि व्यवस्था करना, ट्रैक्टर चलाने वाले को खेत सीमाएं बताते रहना, ट्रैक्टर बुवाई में कोई सुधार जरूरी हो तो बताना आदि कार्य करने पड़ते हैं। इसी प्रकार जब खेत की बुवाई पूरी हो जाती है तब आवार पशुओं से खेत की रक्षा करना, जब बीज अंकुरित होने लगता है तो मोर, तोते आदि पक्षियों से पौधों की रक्षा करनी होती है।

इसके पश्चात अनावश्यक खरपतवार, विट्स की जानकारी लेते रहना और उन को निकालते रहना होता है। पौधों को कोई किटाणु-विषाणकसान तो नहीं पहुंच रहे, पेस्टिसाइड्स की कब आवश्यकता होगी आदि जानकारियों सहित अनेक क्रियाएं किसान के पारिवारिक सदस्यों द्वारा की जाती हैं। अन्न खलिहान से घर लंटी ले जाकर बेचने के लिए लेव जाना पड़ता है। स्वामीनाथन आयोग की सिफरिस के अनुसार उपरोक्त समस्त छोटी, बड़ी क्रियाओं पर लगे समय का यथासम्भव सही सही अनुमान लगाना व परिश्रम का मूल्य निकाल कर A2+FL में शामिल करना चाहिए और यह किया जा सकता है।

2. एक अन्य सिफरिस के अनुसार किसान की स्वयं की जमीन की काल्पनिक रेंटल आय का अंकलन करना और उसे A2+FL में जोड़ना यह कठिन कार्य है। इसमें खेत से खेत, गांव से गांव, तालुका से तालुका व भूमि लोकेशन, साइल गुणवत्ता के

अनुसार भारी अंतर होता है। इसकी कैसे गणना हो और कैसे कृषि लागत में जोड़े यह कठिन कार्य है।

शायद कॉम्प्रेसिव स्टडी की मेथोडोलॉजी में कुछ परिवर्तन कर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय, राज्य मांग, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के साथ कि व नगरीय निकायों के परेफेरी से एक निश्चित दूरी तक कि भूमियों को सर्वे हेतु प्लॉट्स से अलग रखा जाए। इस प्रकार ज्ञात सूचनाओं का, केंद्र व गण्ड के आवश्यक करेशन फेक्टर्स लगा कर, विभिन्न श्रेणियों की भूमियों की रेंट के लिए नेटज निर्धारित कर एवरेज निकलने का प्रयास हो सकता है। लेखक की जानकारी के अनुसार अभी इसका कोई युक्तियुक्त पैमाना तय नहीं है।


3. इसी प्रकार किसी किसान ने दूसरे से जमीन लेकर खेती की है तो उसे खेत मालिक को कितना रेंट दिया है, इसके मूल्यंकन को कोई एक रूपता नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बाधा तो यह है कि इस सब का कोई सरकारी रिकार्ड रखा नहीं जाता। अधिकांशतः यह लीज, बंटवाई आदि मौखिक होती है।

यदि फील्ड सर्वेय प्रयास करें तो मोटा मोटा अंदाज रेंट या बंटवाई हिस्सेदार का हो जाता है। सामान्यतः इस प्रकार की व्यवस्था में खेत मालिक प्रति बोधा नकद रेंट तय करता है या आधी पैदावार का हिस्सा लेता है, खर्च भी आधे आधे। कहीं खर्च सारा बंटवाईदार का और हिस्सेदार का अनुपात आपसी सहमति से 50% से नीचे तय हो जाता है। अलग-अलग जगहों के लिए थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा।

रेंट भी खेत की लोकेशन व उसकी साइल गुणवत्ता के अनुसार बदलता है। लेकिन प्रश्न यह उतपन्न होता है कि बंटवाईदारों का कोई रिकार्ड होता नहीं है।

-महावीर सिंह,
मै आईएएस

राजस्थान में नवसृजित जिलों और संभागों का पुनर्निर्धारण : एक विवेकपूर्ण कदम



चंद्रमोहन मीणा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने हाल ही में प्रदेश में नवगठित जिलों और संभागों का पुनर्निर्धारण किया है। इस निर्णय के तहत प्रदेश में अब कुल 7 संभाग और 41 जिले होंगे। यह निर्णय प्रशासनिक सुधार, आर्थिक संतुलन और सुशासन की दृष्टि से अत्यधिक

महत्वपूर्ण है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2023 में 17 नए जिलों और 3 नए संभागों का गठन किया गया था, जिसकी अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को जारी की गई थी। हालांकि, वर्तमान सरकार ने इस निर्णय की समीक्षा करते हुए 9 जिलों और 3 संभागों को समाप्त करने का फैसला लिया है। यह निर्णय सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. ललित के पंवार की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और मंत्रिमंडलीय उप-समिति की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से अधिक प्रशासनिक इकाइयों की आवश्यकता महसूस की जाती है। हालांकि, प्रशासनिक इकाइयों का गठन तभी प्रभावी हो सकता है जब यह व्यावहारिक, मापदंड-आधारित और राज्य की आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हो। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अचानक 17 जिलों और 3 संभागों के

गठन का निर्णय आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से अव्यावहारिक साबित हुआ। नए जिलों और संभागों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन की पूर्ति राज्य के लिए बड़ी चुनौती बन गई। पुनर्निर्धारण के प्रमुख कारणों में आर्थिक संतुलन और संसाधनों का कुशल उपयोग, प्रशासनिक प्रभावशीलता, वास्तविक जरूरत पर ध्यान जैसे बिंदुओं को केंद्र में रखा है।

नए जिलों और संभागों के गठन में बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। कार्यालय भवन, स्टाफ पदों का सृजन और आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना पर अत्यधिक खर्च होता है। 9 जिलों और 3 संभागों को निरस्त करने से यह आर्थिक बोझ कम होगा और इन संसाधनों का उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकेगा। छोटे जिलों के निर्माण से कई बार प्रशासनिक बोझ बढ़ता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया

धीमी हो जाती है। नए जिलों के स्थान पर मौजूदा प्रशासनिक इकाइयों को अधिक प्रभावी बनाना का प्रयास बेहतर परिणाम दे सकता है।

जिन जिलों को मर्ज किया गया है, वे मापदंडों पर खरे नहीं उतरते थे। वहां आबादी, क्षेत्रफल और प्रशासनिक जरूरतें इतनी नहीं थीं कि नए जिलों की आवश्यकता होती। नौ जिलों को समाप्त करने के बावजूद आठ जिलों को यथावत रखा गया है। इससे सरकार अब इन जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट और मानव संसाधन की पूर्ति पर बेहतर ध्यान दे सकेगी। इन जिलों में निवासरत आमजन को प्रशासनिक सेवाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है जब इनकी योजना मापदंडों और आवश्यकता के आधार पर बनाई जाए। राज्य सरकार का यह निर्णय प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संगठित, प्रभावी और जनहितकारी बनाने की दिशा में एक सहायक प्रयास है।

चंद्रमोहन मीणा
सेवानिवृत्त आईएएस

8 1 3 वां सालाना उर्स : अजमेर जिला व पुलिस प्रशासन ने चादर पेश की

अजमेर, (कांस)। दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म के साथ सुफी संत ख्वाजा साहब के 813वें सालाना उर्स की औपचारिक शुरुआत हो गई है। उर्स के मौके पर रविवार को जिला कलेक्टर लोक बंधु और एसपी वंदिता राणा के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासन की ओर से चादर व अकीदत के फूल मजार पर पेश कर देश-प्रदेश में खूशहाली, अमन चैन के साथ शांतिपूर्ण उर्स के लिए दुआ मांगी। अंजुमन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर व एसपी सहित अधिकारियों की दस्तारबंदी की।

जिला कलेक्टर लोकबंधु व एसपी वंदिता राणा सहित पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों ने रविवार को ख्वाजा साहब की मजार पर मखमली चादर व अकीदत के फूल पेश किए

इस अवसर पर कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि दरगाह के उर्स को लेकर सभी तैयारी कर ली गई है। चांद दिखाई देने पर उर्स की विधिवत शुरुआत एक या दो जनवरी से होगी। अनौपचारिक शुरुआत झंडा रस्म की अदायगी के साथ हो गई है। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने कहा कि उर्स के दौरान पुलिस व प्रशासन की ओर से पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात करने के साथ ही आरएफ टीम सहित स्पेशल टीम भी तैनात की गई है।

गरीब नवाज के उर्स को शुरुआत अनौपचारिक रूप से 28 दिसम्बर को झंडा चढ़ाने के साथ हो गई है। विधिवत शुरुआत चांद दिखाई देने पर एक या दो जनवरी से हो जाएगी।



कलेक्टर लोकबंधु व एसपी वंदिता राणा सहित पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने चादर चढ़ाई।



राशिफल

सोमवार 30 दिसम्बर, 2024

पौष मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, सोमवार, विक्रम संवत् 2081, मूल नक्षत्र रात्रि 11:57 तक, वृद्ध योग रात्रि 8:32 तक, चतुष्पथ करण दिन 3:59 तक, चन्द्रमा आध धनु राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-धनु,

मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरु-वृष, शुक-मकर, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज देवपितृक्या अमावस्या और सोमवती अमावस्या, वकुला अमावस्या है।

श्रेष्ठ चौघडिया: अमृत सूर्योदय से 8:37 तक, शुभ 9:54 से 11:12 तक, चर 1:47 से 3:04 तक, लाभ-अमृत 3:04 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 7:19, सूर्यास्त 5:39

मेघ
व्यावसायिक स्थिति रहेगी। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटकता हुआ धन प्राप्त होगा।

वृष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

मिथुन
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आरोग्य सहयोग-समन्वय बना रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक मामलों से संबंधित विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है।

सिंह
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

तुला
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

वृश्चिक
आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बने लगे। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जा सकते हैं। नौकरियों/व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

मकर
घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा। खान-पान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अनावश्यक धन खर्च होगा।

कुंभ
आर्थिक/वित्तीय मामलों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। आज अटकता हुआ धन प्राप्त हो सकता है। अटक हुए कार्य बने सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मीन
व्यावसायिक कार्यों में आरंभ अडचन दूर होने लगेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।